UPSI120001452002

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–117/2001

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

01. सोनू उर्फ आशीष पुत्र जगदीश्वर दयाल शुक्ला।
02. सीताराम पुत्र महेश्वर दयाल शुक्ला।
03. मुन्न उर्फ शिशिर पुत्र जगदीश्वर दयाल शुक्ला।
04. पप्पू उर्फ गनेश पुत्र जगदीश्वर दयाल शक्ला। निवासीगण मो० झज्झर, कसब्बा व थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर। **................अभियुक्तगण।**

अपराध संख्या–343/2001
धारा–323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना बिसवाँ, जनपद– सीतापुर।

निर्णय

वादिनी मुकदमा श्रीमती सत्यवती, के द्वारा थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बिसवाँ की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर व पप्पू उर्फ गनेश के विरुद्ध अपराध संख्या–343/2001, अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती सत्यवती के द्वारा थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवाई गई की प्रार्थनी सत्यवती पत्नी सत्यनारायण निवासी मोहल्ला झज्जर कस्बा बिसवाँ की हूँ। मेरे पति कम दिमाग के हैं। दिनांक 16.11.2001 को मेरे पड़ोस के सोनू उर्फ आशीष पप्पू उर्फ मनीष, मुन्ना और शिशिर पुत्रगण जगदीश्वर व सीताराम पुत्र महेश्वर दयाल एक राय होकर लाठी डंडा हाथ में लिए हुए गंदी–गंदी गाली देते आए समय करीब ढाई बजे मेरे पति को डंडा व लात घूसों से मारने लगे। मेरे शोर मचाते भागे तो पीछा करते हुए छोटेलाल चमार की छत पर गिराकर मारने लगे। हम व मेरी लड़की शोर मचाते हुए तथा मोहल्ले के कुछ लोगों ने ललकारा तो मेरे पति को घायल अवस्था में छोड़ भागे तथा धमकी दी की आज तो साले को छोड़ दिया अबकी बार जान से मार दूंगाष जब मैं पहुंची तो देख मेरे पति घायल चिल्ला रहे जिनका दाहिना पैर नरों से टूट गया है तथा शरीर में और भी चोटे आई हैं। इस घटना को जोखे, छोटेलाल ने देखा है तथा रामखेलावन ने मौके से बचाया। मुझे रिपोर्ट लिखाने नहीं आने दिया। जब आज मेरे जेठ देवी प्रसाद आए तब मैं अपने पति व जेठ को लेकर रिपोर्ट करने आई मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाए।

वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना बिसवाँ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 343/2001, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर व पप्पू उर्फ गनेश के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.06.10 18:51:24 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनाँक 12.05.2005 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को अभियक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरिचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

क्रम०सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
1.	सत्य नरायम	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	**प्रलेख**	**प्रदर्श**
1.	आरोप पत्र	–
2.	तहरीर	क[1]
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	–
4.	नक्शा नजरी	–
5.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट सत्य नरायण	–

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक 13.05.2026 को अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत है, साक्षी पी०डब्लू० 1 सत्य नरायण, के बयान के विषय में नहीं जानते, मुकदमा मारपीट का चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्ष्य विश्लेषणः– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

साक्षी सत्यनारायण ने न्यायालय के समस्त कथन किया है कि घटना दिनांक 16.11.2001 की है। दिन में 2:30 बजे की है। मैं अपने घर के पास प्राइमरी स्कूल के पास खड़ा था तब सोनू उर्फ आशीष, पप्पू उर्फ मनीष, मुन्ना उर्फ गिरीश, पुत्रगण जगदीश्वर दयाल तथा सीताराम पुत्र महेश्वर दयाल जो मेरे घर के सामने रहते हैं यह लोग लाठी डंडा तथा हाथ में छूरी लिए हुए थे और मुझे गालियां दिया और मारने लगे, तब मैं भाग करके जोखे पुत्र जोधे के मकान में नीम के पेड़ पर चढ़कर छोटे लाल की छत पर चढ़ गया तब भी मुल्जिमान छत पर चढ़कर के मुझे मारने लगे मुझे काफी चोटे आई और घायल हो गए। मेरा दाहिना पैर फैक्चर हो गया था दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। सर में भी चोटे आई थी। मौके पर छोटे लाल वह छोटे लाल की औरत ने देखा था। रामखेलावन जोखे देखा था। मुझे छत पर से जोखे उठा करके लाए थे। मेरी औरत वह लड़की ने स्कूल के पास मारपीट को देखा था। छत पर डर की वजह से नहीं जा पाई। घटना की रिपोर्ट मेरी औरत सत्यवती ने लिखायी

थी। और मेरी लड़की उमा भी लिखायी थी। मेरी डॉक्टरी बिसवाँ में हुई थी। एक्स–रे सीतापुर हुआ था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मौके पर दरोगा जी गए थे।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं गवाही देने चौथी बार आज का मिलकर आए हैं। सोनू, पप्पू, मुन्ना, सीताराम मेरे मोहल्ले में रहते हैं। मैं जानता हूँ। मेरा जन्म स्थान लौना है। मेरे तीन लड़कियां और एक लड़का है। बड़ी लड़की पूनम, उमा, अनुपम लड़कियों का नाम है। लड़के का नाम प्रियंक है। रिपोर्ट 16.11.2001 की है। उसी दिन डॉक्टरी हुई थी फिर कहा कि एक–दो दिन बाद हुई थी। डॉक्टरी घटना के दो दिन बाद सरकारी अस्पताल बिसवाँ में हुई थी। लगभग दो ढाई बजे हुआ था। डॉक्टरी के समय मेरे बड़े भाई भाभी वह मेरी लड़की उमा भी थी। लड़का भी था। इसके अलावा अन्य कोई नहीं था। मेरे यहां से लौना एक फॉरलांग है। मारपीट होने के बाद थाना आया था। थाना 10–11 बजे आया था। प्रार्थना पत्र मेरी औरत ने दिया था। मैं चलने फिरने लायक नहीं था। मेरा दिमाग काम करता था। मेरी औरत और मुझे कुछ कहा सुनी हुई तभी चारों लोग आकर के गाली देने लगे। इसी बात को लेकर के मुल्जिमान झगड़ा किए थे। मुझे व मेरी पत्नी के बीच विवाद का कोई खास बात नहीं थी। झगड़ा सही हालत में हुआ था। पागल अवस्था में नहीं हुआ था। रिपोर्ट लिखाने मैं नहीं गया था। मेरी औरत गई थी। सोनू के पिता के पास प्रिंटिंग प्रेस है। मुझे नहीं मालूम है कि पत्रकार है अथवा नहीं। शादी के कार्ड छपते हैं। मैं इस मोहल्ले में 20 वर्ष से रहता हूँ। इस झगड़े के पहले मेरा वह मुल्जिमानों के बीच आना जाना था। मैंने घटना के दिन ही प्रार्थना पत्र थाना में दिया था जिस पर मेरी पत्नी का दस्तखत है। जो पढ़ी–लिखी है। मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। जोखे, रामखेलावन, छोटेलाल के यहां मेरा आना–जाना है और मेरे पड़ोसी हैं। यह कहना गलत है कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है। मैं साइकिल चलाते समय गिर जाने से मेरा पैर टूट गया है। मेरी लड़की और रामचंद्र रस्तोगी की लड़की लखनऊ गई थी। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की भाग करके दिल्ली गई हो। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी तब पुलिस वालों ने पकड़ कर के लाया था। गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र रामचंद्र रस्तोगी ने दिया था मैंने नहीं दिया था। प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम है। रामचंद्र का लड़का आता जाता था। सोनू के पिता का जो अखबार छपता था उसका नाम चतुरानन हो तो मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि अखबार में छापने की वजह से मैने व मेरी पत्नी ने मुल्जिमानों से झगड़ा किया हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने मुझे मारा पीटा ना हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने धमकी न दी हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने गलियां न दिया हो। घटना के 5–6 दिन बाद दरोगा जी ने घटनास्थल पर गए थे। बयान 26.11.2001 को दरोगा जी ने लिया था। वहां पर मेरी छोटी लड़की थी। मोहल्ले के एक दो लोग और थे। मेरा पैर टूट जाने की वजह से दरोगा जी ने नक्शा कहां बनाया इस बात की जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं साइकिल से गिर पड़ा था और मेरा पैर टूट गया था और मैं झूठा मुकदमा मुल्जिमान के विरुद्ध लिखा दिया हो। मेरे घर का में दरवाजा पश्चिम साइड में है और दक्षिण तरफ निकास है। उत्तर तरफ भी निकास है। मेरे घर से स्कूल 50 मीटर की दूरी पर है। जब मेरे चोट लगी थी तब बेहोश हो गया था। मैं छत पर बेहोश हो गया था। छत पर मैं बिल्कुल बेहोश था। सेंस बिल्कुल नहीं था। जब जोखे उठा करके नीचे ले तब दर्द से चिल्लाए तब मैंने देखा की जोखे उठा करके ले गये। मैं एक घंटा तक बेहोश रहा इस दौरान मेरी लड़की व पत्नी थी। जब मेरे होश आया तब देखा कि मेरी पत्नी व लड़की वही पर थे सी०ओ० साहब के कहने पर रिपोर्ट लिखी गई थी। मेरा आना–जाना थाना के लिए मुल्जिमानों ने कई दिन तक बंद कर दिया था। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की को सोनू व सोनू की मम्मी लाई हो। जोखे मुझे उठा करके फील्ड में लाए थे। मुझे ठेलिया में लाद करके अस्पताल ले गये। तुरंत लाए थे। सरकारी अस्पताल बिसवाँ में लाए थे। अस्पताल में मेरा लड़का भाई भाभी और मेरी लड़की थी। अस्पताल में व मेरे गांव के बीच थाना पड़ता है। पहले मुझे डॉक्टरी के लिए ले गए बाद में थाना ले गये। दरोगा जी ने मेरा बयान मेरे घर पर लिया था।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन व परिशीलन से विदित होता है कि साक्षी सत्यनारायण ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना दिनांक 16.11.2001 की है। दिन में 2:30

बजे की है। सोनू उर्फ आशीष, पप्पू उर्फ मनीष, मुन्ना उर्फ गिरीश, पुत्रगण जगदीश्वर दयाल तथा सीताराम पुत्र महेश्वर दयाल जो मेरे घर के सामने रहते हैं यह लोग लाठी डंडा तथा हाथ में छूरी लिए हुए थे और मुझे गालियां दिया और मारने लगे, तब मैं भाग करके जोखे पुत्र जोधे के मकान में नीम के पेड़ पर चढ़कर छोटे लाल की छत पर चढ़ गया तब भी मुल्जिमान छत पर चढ़कर के मुझे मारने लगे मुझे काफी चोटे आई और घायल हो गए। मेरा दाहिना पैर फैक्चर हो गया था दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। सर में भी चोटे आई थी। उसी दिन डॉक्टरी हुई थी। फिर कहा कि एक दो दिन बाद हुई थी। मारपीट होने के बाद थाना आया था। थाना 10–11 बजे आया था। प्रार्थना पत्र मेरी औरत ने दिया था। मैं चलने फिरने लायक नहीं था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने मुझे मारा पीटा न हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने धमकी न दी हो। मेरा पैर टूट जाने की वजह से दरोगा जी ने नक्शा कहाँ बनाया था इस बात की जानकारी नही है। यह कहना गलत है कि मैं साइकिल से गिर पड़ा था और मेरा पैर टूट गया था और मैंने झूठा मुकदमा मुल्जिमान के विरुद्ध लिखा दिया हो। जब चोट लगी थी तब बेहोश हो गया था। मैं छत पर बेहोश हो गया था। जब मेरे होश आया तब देखा कि मेरी पत्नी व लड़की वही पर थे। सी०ओ० साहब के कहने पर रिपोर्ट लिखी गयी थी।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करने व उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने से यह विदित होता है कि साक्षी सत्य नरायन ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि घटना 16.11.2001 की है एवं समय 2.30 बजे का था, जो कि अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों जैसे कि आरोप पत्र, तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी से प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त साक्षी जो एक चोटहिल (Injured witness) है जिसने स्वयं बयान दिया है कि सोनू उर्फ आशीष, पप्पू उर्फ मनीष, मुन्ना उर्फ गिरीश, पुत्रगण जगदीश्वर दयाल तथा सीताराम पुत्र महेश्वर दयाल ने जो मेरे घर के सामने रहते हैं ने लाठी डण्डों से मारा पीटा व **हाथ में छूरी लिये हुए थे** और गन्दी गन्दी गालियां दे रहे थे। मुझे काफी चोटें आयीं और मैं घायल हो गया। मेरे दाहिने पैर में फैक्चर हो गया। दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। सिर पर भी चोट आयी। साक्षी द्वारा जो अपनी चोटों का उल्लेख किया गया है वही चोटों का उल्लेख **मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट सत्य नरायण** में भी दर्शाया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि मुल्जिमान द्वारा उपरोक्त चोटें कारित की गयी हैं। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि उसकी डॉक्टरी 1–2 दिन बाद हुई थी। मार पीटा होने के बाद वह तुरन्त थाने गया था। व यह भी बताया गया कि 10 व 11 बचे के बीच में थाना गये थे जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। मैं चलने फिरने लायक नहीं था। मेरा पैर टूट जाने से दरोगा जी ने नक्श कहाँ बनाया इस बात की जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं साइकिल से गिर पड़ा था और मेरा पैर टूट गया थाजब चोट लगी थी तब बेहोश हो गया था। मैं छत पर बेहोश हो गया था।

विधि व्यवस्थाः– स्थापित कानूनी सिद्धान्तों के अनुसार कोई न्यायालय किसी भी आरोपी को केवल घायल गवाही की गवाही के आधार पर दोषी ठहरा सकता है क्योंकि वह घटना के दौरान घायल हुआ है। घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति निर्विवादित है जो सत्यता की अन्तरनिहित गारण्टी प्रदान करती है। उपरोक्त बयानों के अनुसार उपरोक्त साक्षी का बयान जो कि स्वयं चोटहिल (Injured witness) है इस बात का प्रमाण है कि घटना के समय वह उस स्थान पर उपस्थित था। साक्षी ने घटना व समय दोनों अपना बयानों में बताया है कि **घटना 16.11.2001 की है और दिन के 2.30 बजे की है।** इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवाह चश्मदीद (Eye witness) है जो कि साक्ष्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि घायल गवाह के अकेले बयान के आधार पर बी दोषसिद्ध को बरकरार रखा जा सकता है, भले ही कोई सहायक चिकित्सा साक्ष्य या अतिरिक्त चश्मदीत गवाह मौजूद न हो, बशर्ते गवाह ठोस और विश्वसनीय हो।[**राज्य बनाम विक्रान्त कुमार** (2025)]

एकमात्र गवाह की गवाही को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांत

सामान्य नियम: कोई अनिवार्य पुष्टि नहीं

किसी दोषसिद्धि को एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित किया जा सकता है यदि वह गवाह पूरी तरह से विश्वसनीय पाया जाता है। केवल एक गवाह की गवाही पर आधारित दोषसिद्धि के लिए पुष्टि की आवश्यकता वाली कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि गवाह का विवरण विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। **Ranjit Singh VS State of Madhya Pradesh – Supreme CourtChittar Lal VS State Of Rajasthan – Supreme CourtAnil Phukan VS State Of Assam – Supreme Court.**

सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इस स्थिति की पुष्टि की है। उदाहरण के लिए, यह माना गया है कि कानून की स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही दोषसिद्धि का आधार हो सकती है, जैसा कि बिपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 12 एससीसी **91 Sanjeev Ram VS State of Bihar 2023 Supreme (Jhk) 83 – 2023 0 Supreme (Jhk) 83**. में देखा गया है। इसी तरह, एकमात्र गवाह की गवाही पर भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है **Bachcha Pandey @ Subhas VS State of U. P. – 2022 Supreme (All) 229 – 2022 0 Supreme (All) 229.**

घायल और पीड़ित गवाहों की विशेष स्थिति

घायल गवाहों—और विशेष रूप से पीड़ितों—को कानून में उच्च दर्जा दिया जाता है। उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी उनकी गवाही को विश्वसनीय होने पर उत्कृष्ट बनाती है। मध्य प्रदेश राज्य मामले में (2010) 10 एससीसी 259 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घायल गवाह की गवाही को उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए। **Thangaraj VS State, Rep. by Inspector of Police, Thanjavur – 2023 Supreme (Mad) 2254–2023 0 Supreme (Mad). 2254.**

यह विशेष रूप से यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में सच है, जहाँ पीड़िता की गवाही के आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है... ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि उसकी गवाही को महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि के बिना लागू नहीं किया जा सकता **BALURAM DEKA S/O SHRI SATRAM DEKA VS STATE OF ASSAM – 2024 Supreme (Gau) 1027 –2024 0 Supreme (Gau) 1027.** इसी बात को दोहराते हुए, यह भी एक स्थापित कानून है कि ऐसे अपराध के लिए पीड़ित गवाह की गवाही के आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है। पीड़िता की प्रत्यक्षदर्शी गवाही किसी भी अन्य गवाह की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है **(कमल हजारिका बनाम असम राज्य – गौहाटी)।**

उपरोक्त गवाही में मामूली विरोधाभाष को नजर अंदाज किया जा सकता है। न्यायालय इस मत का है कि किसी अघात पूर्ण घटना के दौरान मानव स्मृति एवं धारणा प्रभावी हो सकती है। किसी घायल गवाह की विश्वसनीयता उसके बयान में मामलू तुच्छ या स्वाभाविक विसंगतियाँ हो सकती हैं। साक्ष्य के अन्तरनिहित मजबूती के कारण घायल गवाह **(Injured witness)** के बयानों में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। घायर गवाह के बयानों को खारिज करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा घायर के रूप में ठोस संदेह पैदा करने वाले प्रमुख मौलिक विरोधाभाष यह विसंगतियाँ साबित करनी होंगी जो कि उपरोक्त मामले में अभियुक्त साबित करने में विफल रहा है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण करने व उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने से यह विदित होता है कि घायल गवाह के बयानों पर विश्वास किया जाना है एवं अभियुक्त द्वारा उपरोक्त साक्ष्य के तथ्यों को पूर्ण रूप से किसी भी साक्ष्य के आधार पर खण्डित नहीं किया जा सकता है। चुंकि साक्षी सत्य नरायण **(Injured witness and Eye witness)** जो कि घायल गवाह एवं चश्मदीद गवाह है अपने बयानों में अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से समर्थन किया है जिस कारण इस साक्षी की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है जो की पूर्ण रूप से विश्वसनीय भी है। साक्षी घटना पर मौके पर एक चश्मदीद **(Eye witness)** साक्षी है जिसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण व विश्वसनीय होती है जिससे यह यथासम्भव पूर्ण विश्वास किया जाना चाहिए। उपरोक्त मामले में सत्य नरायण एक चश्मदीद **(Eye witness)** साक्षी है।

Evidence prove that an eyewitness statement is highly valuable in the eye of law. The evidentiary value of an eyewitness statement can be understood with the help of the following provisions under the **Indian Evidence Act, 1872.**

1. As per **Section 118 of the Indian Evidence Act, 1872** every person are competent under the law to testify unless they are not capable of giving the statwements or understanding any question of the court for the reason of their tender age, extreme old age or any diseases. The section allows a statement of a lunatic person to be evidence in the court if he is capable of understanding the questions of the court. The statements of a child may also be considered as highly valuable evidence if they have the capable of understanding the questions. It is to be noted that a credible and truthful eyewitness statement can plays an important role in the convictions,

2. Another provision that qualifies an eyewitness statement as highly valuable evidence as well as strengthens the status of such statements is **Section 134 of the Indian Evidence Act, 1872. As per Section 134,** no particular numbers of witnesses are required to prove a fact. The Act gives importance to the principle of quality than quantity. A conviction can also occur on the basis of the testimony of a sole witness.

3. The evidentiary value of the eyewitness statement can be sonstrued from the provision of **Section 135 of the Indian Evidence Act, 1872.** As per the Section, the order in which the witnesses are to be produced shall be regulated by law and the practice. The section further provides that the witness must be examined as per the civil and criminal procedure.

The admissibility of the eyewitness statement is based on the presumption that the witness speaking under an oath is truthful unless it is proved beyond reasonable boubt that their testimonies are untruthful and unreliable.

On the persural of the above stated case statement made by PW 1 satya narayan seems to be consistence with statement.

यहां तक कि घटनास्थल का चश्मदीद एकमात्र साक्षी भी किसी मुकदमे में एक सक्षम साक्षी हो सकता है। इस सन्दर्भ में एक मुख्य्‍ नजीर का उल्लेख कियाजाना आवश्यक होगा जिसका संक्षिप्त विवेचन ऊपर किया गया है। "2012 (76) ACC 680 (SUPREME COURT) Prithipal Singh etc. Vs. State of Punjab" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Evidence of sole eye–witness can be acted upon if the witness is wholly reliable and not the number or the quantity but the quality that is material. As a general rule the court can act and may act on the testimony of a single witness provided he is wholly reliable. There is no legal impediment in convicting a person on the sole testimony of a single witness. There is the logic of section 134 of the Evidence Act. But if there are doubts about the testimony the cout will insist on corboration. In fact it is not the number but the quality that is material. The time–honoured principle is that evidence has to be weighed

and not counted. The test is whether the evidence has a ring of truth, is cogent, credible and trustworthy or otherwise. The legal system has laid emphasis on value, weight and quality of evidence rather than on quantity, multiplicity or plurality of witnesses. It is therefore open to competent court to fully and completely rely on a solitary wintess and record conviction. Conversely, it may acquit the accused in spite of testimony of several witnesses if it is not satisfied about the quality of evidence."

इसके अतिरिक्त सत्य नरायण की मेडिकर एक्जामिनेशन रिपोर्ट जिसको चिकित्सक द्वारा तैयार किया गया है जिसकी आख्या के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सत्य नरायण को कई चोटें आयीं और डॉक्टरी भी हुई।

In Indian Judicial System, for any criminal trial of any offence against human body, opinion of expert are very important for the administration of justice. Medical evidence are evidence of opinion which is relevant under section 45 of Indian Evidence Act, 1872. Evidence adduced by prosecution has grate corrobarative value. Medical professional seems to be "witness of fact" Though he also gives an opinion on certain aspect of the case. Statement made by professionals seems to be credible and trust worthy Unless denied by oposite party. Medical evidence being an expert witness, his testimony has to be assigned great importance. How ever, there is no irrebutable presumption that medical officer is always a witness of truth, his testimony has to be evaluated and appreciated like the testimony the any other ordinary witness.

Hon'ble Supreme Court in Solanki Chimanbhai Ukabhai v. State of Gujarat, (AIR 1983 SC 484: 1983 Cr. L. 822) observed:- "Ordinarily, the value of medical evidence is only corroborative. It proves that the injuries could have been caused in the manner alleged and nothing more. The use, which the defence can make of the medical evidence, is to prove that the injuries could not possibly have been caused in the manner alleged and thereby discredit the eyewitnesses. Unless, however, the medical evidence in its turn goes so far that it completely rules out all possibilities whatsoever of injuries taking place in the manner alleged by eye witnesses, the testimony of the eye witnesses cannot be thrown out on the ground of alleged inconsistency between it and the medical evidence. "

न्यायालय अभियोजन के उपरोक्त तर्क से सहमत है कि न्यायालय के समक्ष पेश हुए साक्षीगण की गवाही की गुणवत्ता पर विचार किया जाना चाहिए ताकि तुलनात्मक विश्लेषण कर सही नतीजे पर पहुंचा जा सके और जहां तक प्रश्न सूक्ष्म प्रकार के विरोधाभाष व भिन्नताओं का है तो इस सम्बंध यह कहना न्यायोचित होगा कि पुराने मुकदमों में गवाही एक लम्बे समय के अन्तराल के पश्चात होती है जिस कारगण उपस्थित आये साक्षी की स्मृति **(Memory)** थोड़ी धूमिल **(fade)** भी हो जाती है। विशेषकर ऐसे मुकदमों में जो कि 25 वर्ष पुराने होते है जैसा कि यह वर्तमान केस हे जो सन् 2001 से इस न्यायालय में विचाराधीन है और पिछले करीब 25 वर्षों से लंबित है ऐसे मुकदमों में निश्चित रूप से थोड़ी बहुत भिन्नता व विरोधाभाष गवाही में आना स्वाभाविक है जो कि यदि सामान्य प्रकृति है तो अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही उससे अभियोजन कथानक संदिग्ध साबित होता है। प्रस्तुत केस में ऐसी कोई विशेष भिन्नता या विरोधाभाष साक्षीगण की गवाही से साबित नहीं होता है। इस बिन्दु पर एक मुख्य नजीर का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

"2012 (77) ACC 615 (UTTRAKHAND HIGH COURT) Hayat singh Bora Vs. State of Uttrakhand) में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित

किया गया है कि "Evidence– Variation in testimony of witnesses – Natural variations do not effect prosecution story where direct evidence is supported by medical evidence. Held that Major contradictions or variations in their testimony are not there. Natural variations do not effect the prosecution story when there is direct evidence duly supported by the medical evidence."

क्योंकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उपलब्ध साक्ष्य में से महत्वपूर्ण साक्ष्य निकाले अर्थात न्यायालय का कार्य भूसे में गेहूं निकालने जैसा ही है। एक गवाह का साक्ष्य कुछ सच हो सकता है तथा कुछ झूठ हो सकता है तब ऐसी दशा में न्यायालय को महत्वपूर्ण व प्रमाणित साक्ष्य खोज निकालना चाहिए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रलिखित नजीर में अभिनिर्धारित किया गया है। **"2010 (71) ACC 947 (SUPREME COURT) Ranjit Singh & etc. Vs. State of Madhya Pradesh"** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "The maxim falsus in uno, falsus in omnibus (false in one thing, false in every thing) is neither a sound rule of law nor a rule of practice. Hardly one comes across a witness whose evidence does not contain a grain of untruth or any rate ex–aggerations, embroideries or embellishments. It is therefore the duty of the court to scrutinise th evidence carefully and in terms of the felicitous metaphor, **separate the grain from the chaff.** But it cannot obviously disbelieve the substratum of the prosecution case or the material parts of the evidence and reconstructed a story of its own out of the rest." (Ugar Ahir and others Vs. State of Bihar). It is well settled in law that the maxim falsus in uno, falsus in omnibus (false in one false in all) does not apply in criminal cases in India, as a witness may be party truthful and partly false in the evidence he gives to the court. In view of the above, the law can be summaised to the effect that the aforesaid legal maxim is not applicable in India and the cout has to assess to what extent the deposition of a witness can be relied upon. The court has to separated the falsehood from the truth and it is only in exceptional circumstances wherein it is not possible to separate the grain from the chaff because they are inextricably mixed up, that the whole evidence of such a witness can be discarded.
इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा नियमानुसार विवेचना की गयी है। मौके पर जाकर घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया जहां पर अभियुक्त द्वारा मारा पीटा गया उसे भी बखूबी दर्शाया गया। पत्रावली पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया जिसके अवलोकन से यह साबित हो सके कि घटनास्थल पर अपराध कारित नहीं किया गया है। विवेचक एक औपचारिक साक्षी होता है जो कि किसी घटना का चश्मदीप साक्षी नहीं होता है। जिस कारण जब तक कि अभियोजन प्रपत्रों की संदिग्धतता पर प्रश्न न उठाया जाये तब तक विवेचक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रपत्र सही होते हैं। जिस कारण यदि विवेचक किसी कारण वश गवाही हेतु उपस्थित नहीं होता है तो भी अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वह भी तब तक अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है और विशेषकर साक्षी ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित भी किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नजीर **"2000 (1) JIC 786 (SC) SUPREME COURT– 'Ambika prasad & Anr. etc. Vs. State (Delhi Administration, Delhi)' WITH 'Ram Chandar vs. The State (Delhi Administration)' AND 'Rajinder Singh vs. The State (Delhi Administration)'** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Non examination of Investigationg officer–not

ground for disbelieve evidence of injured eye–witnesses. Independent witnesses not willing to co–operate with investigation–Not ground for rejecting evidence of injured witness.

Manu Dutt Vs. State of U.P. 2012 (ACC 209)SC) तथा Maksoodan Vs. State of U.P. 1983 1 (SCC 218) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा गया कि मजरूब गवाह जिसके साथ घटना घटित होती है वह मौके का चश्मदीद साक्षी होता है जिसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण व विश्वसनीय भी होती है जिस पर यथासंभव पूर्ण विश्वास किया जाना चाहिए। मजरूब साक्षी की विश्वसनीयता पर ही माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा फाइंडिंग दी गयी है। **"2010 (71) ACC 555 (SUPREME COURT) Abdul Sayeed Vs. State of M.P."** में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "The law on the point can be summarised to the effect that the testimony of the injured witness is accorded a special status of law. This is as a consequence of the fact that the injury to the witness is an in–built gurantee of his presence at the scene of the crime and because the witness will not want to let his acutal assailant go unpunished merely to falsely implicate a third party for the commission ot the offence. Thus the diposition of the injured witness should be relied upon unless there are strong grounds for rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein.

बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तथ्यों को सुनने व इस संदर्भ में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह साबित होता है उपरोक्त घटना घटित हुई है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत घटना स्थल का नक्शा नजरी के अवलोकन से व साक्षी के कथनों से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमे के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केस सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है जिस कारण अभियुक्तगण **सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर, पप्पू उर्फ गनेश** लगाये गये आरोप से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर, पप्पू उर्फ गनेश** को अपराध संख्या 343/2001, अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर, पर लगाये गये आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

<u>दिनांक 10.06.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर
JO Code–UP3421

आज दिनाँक 10.06.2026 को उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

<u>दिनांक 10.06.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर
JO Code–UP3421

लंच बादः–

पत्रावली लंच बाद सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

यह पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि अपराध किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कारित किया नहीं होता है बल्कि समाज के विरुद्ध कारित किया गया होता है। प्रस्तुत केस में साक्षी द्वारा एफ०आई०आर से विपरीत गवाही न्यायालय के समक्ष नहीं दी गयी है। ऐसी अवस्था में अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई नर्म रुख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व अपराध कारित करने के ढंग को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ न देकर तुरन्त ही कारावास से दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्दर्गत निचली अदालतों का यह कर्तव्य है कि फैसला सुनाते समय पीड़ितों को (victim) को मुआवजा देने पर विचार करे। यह मुआवजा सीधे दोषी के जुर्माने से दिया जा सकता है। धारा **357 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह आरोपी को पीड़ित को हुए नुकशान, चोट, के लिए मुआवजा देने का आदेश करे। यह तब भी लागू होगा जब सज में जुर्माना शामिल हो। फैसले के दौरान मुआवजे की धनराशि तय करते समय अदालत विशिष्ट मानदण्डों का मूल्यांकन करती है जैसे कि–

01. पीडित की आवश्यकता। चिकित्सा खर्च दर्द और पीड़ा और आय अर्जित करने की क्षमता में कमी का आकलन किया जाता है। न्यायालय पीड़ित द्वारा झेले गये गम्भीर आघात पर गम्भीरता से विचार करता है।

02. दोषी की वित्तीय क्षमता मुआवजा तय करने से पहले न्यायालय आरोपी की वित्तीय क्षमता का आकलन करता है। **(करण बनाम दिल्ली राज्य एन०सी०टी)** जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने यह अनिवार्य किया है कि दोषी अपनी आय और सम्पत्ति का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करे ताकि उसकी भुगतान क्षमता का पता लगाया जा सके। उपरोक्त मालमें में चोटिल सत्य नरायण ने यह बयान दिया है कि घटना के दौरान चोटिल को मारा गया। मारने पर काफी चोटें आयी और वह घायल हो गया। चोटिल का दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया। दाहिने हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। सर पर भी चोटे आयी थीं। उपरोक्त बयानों को **मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट** जो कि पत्रावली में दाखिल है चिकित्सा के मत (Opinion) से प्रमाणित करती है जो कि **साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा** 45 में दिये गये चिकित्सा द्वारा मत उपरोक्त मामले में सुसंगत हैं। **(धारा 6 साक्ष्य अधिनियम)** उपरोक्त मामले को देखकर अपराध की प्रकृति, हुई क्षति और अपराध की भुगतान क्षमता पर विचार करते हुए वादी मुकदमा/चोटिल को कुल जुर्माने की **90% धनराशि** क्षति के रूप में प्रदान करती है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर, पप्पू उर्फ गनेश** को अपराध अन्तर्गत धारा 323, भारतीय दण्ड संहिता, 1908 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 3 माह के साधारण कारावास तथा **5,00/–** रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त उपरोक्त 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेंगे।

अभियुक्तगण **सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर, पप्पू उर्फ गनेश** को अपराध अन्तर्गत धारा 324, भारतीय दण्ड संहिता, 1908 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा **2,000/–** रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त उपरोक्त 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेंगे।

अभियुक्तगण **सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर, पप्पू उर्फ गनेश** को अपराध अन्तर्गत धारा 325, भारतीय दण्ड संहिता, 1908 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 3 साल के साधारण कारावास तथा **2500/–** रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त उपरोक्त 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेंगे।

अभियुक्तगण **सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर, पप्पू उर्फ गनेश** को अपराध अन्तर्गत धारा 504, भारतीय दण्ड संहिता, 1908 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 3 माह के साधारण कारावास तथा **5,00/–** रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त उपरोक्त **15 दिन** के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेंगे।

अभियुक्तगण **सोनू उर्फ आशीष, सीताराम, मुन्न उर्फ शिशिर, पप्पू उर्फ गनेश** को अपराध अन्तर्गत धारा 506, भारतीय दण्ड संहिता, 1908 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा **1000/–** रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त उपरोक्त **15 दिन** के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेंगे।

प्रति अभियुक्त कुल अर्थदण्ड की राशि **6500/–**, जुर्माने की कुल धनराशि **26000/–** प्रतीत होती है जिसकी **90%** धनराशि वादी मुकदमा/चोटिल को क्षति के रूप में अभियुक्तों द्वारा भुगतान करने का आदेश करती है जो कि **23,400/–** होती है।

सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। दौरान विचारण पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि इस सजा में समाहित होगी।

अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

<u>दिनाँक 10.06.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतपुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 10.06.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>दिनाँक 10.06.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतपुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–